3.5.18

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट मैनपुरा में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड पत्रावली सं० 2072 से 2075 ग्राम हीरवाना के भूमि ख.न. 84 रकबा 2.33 है. के वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। धारा 53 के प्रावधान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने दर्ज हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम हीरवाना के भूमि ख.न. 84 रकबा 2.33 है. में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 के दर्ज हिस्से के कब्जा अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

पत्रावली फौरन दुरुस्त होकर नम्बर से काम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3.5.18 को कैम्प कोर्ट मैनपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner